राजस्व वाद 80/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/144
बबलू वगैरह बनाम् केशाराम वगैरह

— : : आदेश : : —

अतः वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ... किया जाकर मौजा गडरिया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 227, 225, 104, ... में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पत्रांक 6 दिनांक 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, ... निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

वादी संख्या 1 बबलूराम व वादी संख्या 2 केशाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 227 रकबा 7.2196 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 मुन्नी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 3.5531 हैक्टेयर में से 1.7563 हैक्टेयर (10.17 बीघा) पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 अर्जुनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 225 रकबा 5.0262 हैक्टेयर में से 3.3913 हैक्टेयर (20.19 बीघा) पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 4 मूलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 3.5531 हैक्टेयर में से 1.7563 हैक्टेयर (10.17 बीघा) पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 225 रकबा 5.0262 हैक्टेयर में से 1.6349 हैक्टेयर (10.02 बीघा) पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 अच्छू देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 183 रकबा 2.5414 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गयी है ना ही अन्य कन्ही भूमि रखे जाने का साक्ष्य दस्तावेज वाद पत्र में सलंग्न किया गया है।

मौजा गडरिया के खेत खसरा नंबर 104 रकबा 3.5531 हैक्टेयर में से 0.0405 हैक्टेयर (0.05 बीघा) गैर मुमकिन रास्ता नजरीनक्शानुसार सरकारी रहेगा जो सभी के आवागमन के लिये होगा।

नोटः— प्रतिवादी संख्या 5 से 8 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर तथा खसरान् जो केसीसी के कारण बैक रहन है, संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी ... इजलास सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner